

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर
क्रमांक:-एफ.1(2)(03222)स्था./सान्याअवि/2025/ जयपुर, दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षर

विज्ञप्ति

विभागीय आदेश राजकाज रैफरेंस क्रमांक 12640486 दिनांक 26.12.2024 द्वारा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-।। सीधी भर्ती परीक्षा-2024 में विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध लगभग 2 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उक्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को दिनांक 31.12.2024 से 06.01.2025 तक ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म मय समस्त दस्तावेज भरने का समय दिया गया था। उक्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेजों का ऑफलाईन सत्यापन दिनांक 15.01.2025 से दिनांक 27.01.2025 तक प्रातः 9.30 बजे से निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर में किया जावेगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक एवं समय पर पात्रता जांच हेतु आवेदन पत्र एवं विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म की प्रति एवं मय स्व प्रमाणित दस्तावेज व समस्त मूल दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से निदेशालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म नहीं भरा है वे ऑफलाईन आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म भर कर 100 रुपये का पोस्टल आर्डर सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम एवं समस्त मूल दस्तावेज लाना सुनिश्चित करें। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अपरिहार्य कारणों से दस्तावेज सत्यापन नहीं करा पायेंगे, वे दस्तावेज सत्यापन दिनांक 28.01.2025 को करा सकेंगे। अन्य जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट <https://sje.rajasthan.gov.in> एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की वेबसाइट <https://rssb.rajasthan.gov.in> वेबसाइट का अवलोकन नियमित रूप से करते रहे।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
जयपुर, दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षर

क्रमांक:-एफ.1(2)(03222)स्था./सान्याअवि/2025/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को उक्त विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के राज्य संस्करण में प्रकाशित करवाने हेतु।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. अति. निदेशक (पिछड़ी जाति), नोडल अधिकारी, दस्तावेज सत्यापन प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार), मुख्यालय को उक्त विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के राज्य संस्करण में प्रकाशित करवाने हेतु।
6. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

